भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-954

दिनांक 27 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

बिजली से लगने वाली आग की रोकथाम और आवासीय सुरक्षा संपरीक्षा ढांचा

954. डॉ. अजित माधवराव गोपछडे:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देशभर में बार-बार होने वाली आग की घटनाओं से अवगत है, जिसमें दिल्ली के विवेक विहार में हुई आग की दुखद घटना भी शामिल है जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई;

(ख) क्या सरकार ने आग लगने की घटनाओं में ओवरलोडिंग और पुरानी वायरिंग की भूमिका का आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमों के तहत उपभोक्ताओं के बिजली अधिष्ठापनों के निरीक्षण के मौजूदा तंत्र की प्रभावशीलता की समीक्षा की है;

(घ) क्या सरकार अनिवार्य आवधिक तृतीय-पक्ष विद्युत सुरक्षा निरीक्षण शुरू करने का विचार रखती है; और

(ङ) क्या सरकार विद्युत सुरक्षा निरीक्षणों के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग और अनुपालन तंत्र स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : सरकार, दिल्ली के विवेक विहार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना सहित, देश के अलग-अलग हिस्सों में बिजली से लगी आग की घटनाओं से अवगत है। अपर्याप्त रखरखाव, सुरक्षा नियमों का अनुपालन न करना, खराब गुणवत्ता वाले विद्युत उपकरण, पुरानी या ओवरलोड वायरिंग और जागरूकता की कमी सहित विभिन्न कारणों से ऐसी घटनाएं हो सकती हैं।

(ग) : विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53(क) और 177(2)(ख) के प्रावधानों के अनुसरण में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने समय-समय पर संशोधित सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 को अधिसूचित किया। सीईए ने राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद दिनांक 8 जून, 2023 को इन विनियमों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया। इन विनियमों के प्रावधानों पर राज्य सरकारों के साथ बैठकों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों के माध्यम से नियमित रूप से चर्चा की जाती है। विद्युत सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को भी परामर्शिकाएं जारी की जाती हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सुरक्षित विद्युत संस्थापना प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आईएस 732 (कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन), आईएस 3043 (कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग) और राष्ट्रीय विद्युत संहिता, 2023 सहित मानक भी जारी किए हैं। इसके अलावा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनिर्दिष्ट विद्युत तारों और घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए हैं।

(घ) : सीईए सुरक्षा विनियम, जीवन यापन और व्यापार सुगमता के सिद्धांतों को बढ़ावा देते समय, मालिक या उपभोक्ता द्वारा अधिसूचित वोल्टेज तक विद्युत संस्थापनाओं के समय-समय पर स्व-प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। उपयुक्त सरकार वोल्टेज स्तर और आवधिकता का निर्णय करेगी। तथापि, मालिक या उपभोक्ता के पास उपयुक्त सरकार के वैद्युत निरीक्षक द्वारा अपनी संस्थापना का निरीक्षण और परीक्षण कराने का विकल्प है। यह भी प्रावधान है कि मालिक या उपभोक्ता समय-समय पर स्व-प्रमाणीकरण के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा अधिकृत चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर (सीईएसई) की सहायता ले सकते हैं।

(ङ) : केन्द्रीय सरकारी संस्थापनाओं के विद्युत सुरक्षा निरीक्षण के लिए एक डिजिटल रिपोर्टिंग और अनुपालन तंत्र पहले से ही राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल के माध्यम से संचालित है। यह पोर्टल ऑनलाइन आवेदन जमा करने तथा उसके प्रसंस्करण को सक्षम बनाता है और केंद्र सरकार के संस्थापनाओं के लिए विद्युत सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

****